

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/
1503

दिनांक 3/7/17

प्रेषित :-


तहसीलदार सेड़वा

विषय :- राजस्व वाद सं. 211/2014 अनवान हराराम बनाम ताजाराम वगैरा में पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 30.06.2017 को पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंगन कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंगन :- निर्णय की प्रमाणित प्रति।




सहायक कलक्टर एवं
(SDO) चौहटन
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendlax 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन
व इजलास श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

मुकाम चौहटन

1.हराराम 2.कोजाराम 3.मोटाराम
पि.भूराराम, जाति जाट
निवासी मियाजल की बेरी, केकड़
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

1.ताजाराम पुत्र राजूराम 2.रामाराम
3.जेठाराम पि.सोनाराम 4.मेहराराम
5.हेमाराम पि.तेजाराम जाति जाट
6.धनाराम 7.नथाराम 8.दूदाराम
9.धर्मराम पि. कौशलाराम जाति मेगवाल
निवासी पाबूबेरा (कारटिया) तहसील सेड़वा

वाद बाबत 188, RT Act.

मुकदमा नं. 211/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु.ब.रु. न्यायालय बहाजरी श्री महेन्द्र रामावत एड. मिनजानिब मुदाई व श्री बाबूलाल जाणी एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार कर मौजा मियाजल की बेरी, केकड़ तहसील सेड़वा के खसरा सं. 1 रकबा 26.10 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में सक्षम न्यायालय के आदेशों तक वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों को एक दूसरे के खातेदारी की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे। बीज मबलिंग
..... बाबत पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक को अदा करे।

वसूली गैर दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20/6/12 को जारी की गई।



दस्तखत
सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटा
ओहदा

मुदई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना (वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे करना।

ढ्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाङमेर

राजस्व वाद सं. 211/2014

पीठासीन अधिकारी -श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 188, रा.का.अ.

अनवान वादीगण- 1.हराराम 2.कोजाराम 3.मोटाराम पि.भूराराम,
जाति जाट,निवासी मियाजल की बेरी, केकड
तहसील सेड़वा, जिला बाङमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण - 1.ताजाराम पुत्र राजूराम 2.रामाराम 3.जेठाराम पि.सोनाराम
4.मेहराराम 5.हेमाराम पि.तेजाराम जाति जाट
6.धनाराम 7.नथाराम 8.दूदाराम
9.धर्मराम पि. कौशलाराम जाति मेगवाल
निवासी पाबूबेरा (कारटिया) तहसील सेड़वा

अधिवक्तागण - वादीगण वकील - श्री महेन्द्र रामावात
प्रतिवादीगण वकील - श्री बाबूलाल जाणी

निर्णय

दिनांक :- 20/6/12

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं. 1 रकबा 26.10 बीघा मौजा मियाजल की बेरी, पटवार क्षेत्र केकड तहसील सेड़वा में आये हुए है। प्रतिवादीगण वादीगण के सेढा पड़ौसी है। उनके खेत पाबूबेरा में आये हुए है। प्रतिवादीगण हमेशा वादीगण का सेढा तोड़कर वादी के खेतों में घुसने व कब्जा करने का प्रयास करते रहते है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के मुस्तक है कि प्रतिवादीगण वादीगण के खेत खसरा सं. 1 रकबा 26.10 बीघा मौजा मियाजल की बेरी, पटवार क्षेत्र केकड तहसील सेड़वा में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काशत में दखल नहीं करे न ही कब्जा करे, न ही उसके खेत में प्रवेश करे जिस हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल तामिल प्राप्त । जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी सं. 1 से 3, 5, 9 की ओर से अधिवक्ता बाबूलाल जाणी ने वकालतनामा पेश किया । जो पत्रावली शामिल किये गये।


पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प केकड़ में दिनांक 30.06.17 को पेश हुई। वादीगण की ओर से वादी सं. 3 उपस्थित । प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी सं. 1 व 2 मय वकील उपस्थित हुए।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली में पेश समस्त दस्तावेजों, साक्ष्यों, सबूतों का गहन अध्ययन/अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मियाजल की बेरी, केकड़ तहसील सेड़वा के खसरा सं. 1 रकबा 26.10 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में सक्षम न्यायालय के आदेशों तक वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों को एक दूसरे के खातेदारी की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.17 को राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2017 को न्यायालय कैम्प केकड़ मे सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर एवं
(SDO) चौहटन
उपखण्ड अधिकारी चौहटन